द्वारा ई–मेल / फैक्स / महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद–।

संख्याःपॉच–470(वरिष्ठता–पदोन्नति) / 2015–16 दिनॉकःनवम्बर 8 ,2016

आदेश

उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली–2015 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्नलिखित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके नाम के सम्मुख अंकित चयन वर्ष में उनके कनिष्ठ की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जो रिट याचिका संख्याः1645 / 2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626 / 2015 संतोष कुमार वैश्य व 18 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगीः–

कमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जनपद	जन्म तिथि	चयन का वर्ष
1	982190049	रमेन्द्र सिंह	ब्रजभान सिंह	इलाहाबाद	02–07–1970	2014
2	792021014	रामपाल सिह	रतीराम	मथुरा	03–01–1960	2014
3	772411279	शिव शंकर सिंह	मुसाफिर सिंह	लखनऊ	11–06–1958	2015
4	792358490	बृज कुमार द्विवेदी	दीना नाथ द्विवेदी	खीरी	15–04–1960	2015
5	982660200	जावेद इकबाल खॉ	इकबाल अहमद खां	बाराबंकी	28–06–1968	2015
6	982491100	सोमेश वर्मा	मौहन लाल वर्मा	मथुरा	23–03–1969	2014
7	982020212	विजय कुमार	भगवान दास	मैनपुरी	15–06–1969	2015
8	812356337	अरूण कुमार शुक्ला	शेष नारायण शुक्ला	सीतापुर	30–12–1958	2015
9	842012357	रूकम पाल सिंह	चोब सिंह	कानपुर नगर	25–11–1965	2015
10	982290130	मन्जूलता कुशवाहा	राजेश कुमार सिह कुशवाह	गौतमबुद्धनगर	02–10–1964	2015

2– पदोन्नति पाये समस्त निरीक्षकगण अपने नियुक्ति स्थान जनपद / इकाई / शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेगें तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे सेवानियमावली के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेगें। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मी नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। पदोन्नति पाये निरीक्षकगणों की आगामी नियुक्ति / स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अलग से आदेश पारित किये जायेगें।

3— पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित उपनिरीक्षक से **संलग्न प्रारूप (क)** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः 13/21/89—का—1—1997 दिनांकः 28—05—1997 के खण्ड—2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध विद्यमान न हों:—

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप—पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप—पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

4— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक ना0पु0 को निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कार्यभर ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा—निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5— यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वहस्ताक्षरित् घोषणा—पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा स्वघोषणा—पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6— आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट **http://uppolice.gov.in** पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नक— प्रारूप (क)

08/11/16

(अनिल कुमार राय)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— जोनल पुलिस महानिरीक्षक, इलाहाबाद/आगरा/लखनऊ/कानपुर एवं मेरठ उ0प्र0।
2— परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, इलाहाबाद/आगरा/लखनऊ/फैजाबाद/कानपुरनगर एवं मेरठ उ0प्र0।
3— वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद/मथुरा/लखनऊ/खीरी/बाराबंकी/मैनपुरी/सीतापुर/कानपुरनगर एवं गौतमबुद्धनगर।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषितः—

1— अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ0 प्र0 लखनऊ।
2— पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ।
3— अपर सचिव, प्रोन्नति उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

प्रारूप–"क"

स्वघोषणा–पत्र

मैं,------------------------------(नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र --------------निवासी-------------------थाना-----------जनपद------------- वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)-------------------- नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:–

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

(ख) रिट याचिका संख्या:1645/2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626/2015 संतोष कुमार वैश्य व 18 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिया जायेगा, वह मुझे स्वीकार होगा।

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दवाब के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनॉक तथा कारण ------

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई----------में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनॉक:------------ को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0------------ धारा-------------थाना ------------ जनपद----------में लम्बित है, जिसमें दिनॉक:----------को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी----------------द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में----------स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनॉक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:–स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।